



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-11/2022/डी-1587

दिनांक...13/6/22

:- अधिसूचना :-


जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसारण में मास्टर विकास योजना 2011, जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपान्तरण हेतु अधिसूचना दिनांक 28.7.2021 के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए थे, 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में जविप्रा स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 06/25.01.2022 एवं मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक:-टीपीआर 1120/एसएलसी/जविप्रा जयपुर/02/2022/4199-4204 दिनांक 06.5.2022 द्वारा भू उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

:-उपान्तरण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2462 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 2461/1 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 2463/1 रकबा 0.71 हैक्ट. ख. नं. 2468/1 रकबा 0.48 हैक्ट. ख.नं. 2469 रकबा 0.36 हैक्ट. कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.97 हैक्ट. (19700 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन वाणिज्यिक(होटल) से औद्योगिक (वेयर हाऊस) में भू उपयोग परिवर्तन किया जाता है।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन सं. 1554/2004 के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक...13/6/2022 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।


(उज्ज्वल राठौड़)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-609
13.6.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष: (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैंक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-1610

दिनांक: 13/6/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दरतावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहरताक्षरकर्ता के सम्मक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार/आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	109-बी	नारायण विहार विस्तार (दी सांगानेर गृ0नि0स0समिति लि0)	श्री कृष्ण कुमार शर्मा एवं गजानन्द शर्मा पुत्रान् स्व0 श्री मदन लाल शर्मा	श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बदीनारायण जी शर्मा	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 09.05.2022 के आधार पर
2	बी-33	महावीर नगर बी (अपोलो नगर कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0)	श्री मोहम्मद अनीस एवं फिरोज खान पुत्रान् श्री अब्दुल शकुर	श्री अब्दुल सकूर पुत्र श्री अब्दुल गफूर	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 12.03.2022 के आधार पर
3	78	मारुति कॉलोनी (दी सांगानेर कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0)	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामजीलाल	श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री रामजी लाल	मृत्यु उपरांत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 28.06.2021 के आधार पर
4	आरक्षण पत्र क्रमांक डी-2546 दिनांक 22.9.08 में वर्णित 25 प्रतिशत क्षे0 के हिस्सा 1/2	वेस्ट वे हाईट्स (जविप्रा योजना)	श्री राजेश व सुरेश पुत्रान् स्व0 श्री रामसहाय	श्री रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ	श्री रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ की मृत्यु के उपरांत पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 27.04.2015 के आधार पर आरक्षण पत्र क्रमांक डी-541 दिनांक 16.02.2008 में वर्णित 25 प्रतिशत क्षे0 के हिस्सा 1/2 का नाम हस्तान्तरण करने बाबत।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन संपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- (+91-141-2572515) : ईपीबीएनम - (+91-141-2569696 एक्सटेंशन: {}): फैक्स- (+91-141-2574555



सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री चैतन्य शर्मा द्वारा मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना "गंगा विहार विस्तार" के निम्नलिखित भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री चैतन्य शर्मा	29	200.00

उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र रामलाल जाट पुत्र श्री सुरज करण जाट के पक्ष में जारी किया गया। सहकारी समिति की प्रमाणित सदस्यता सूची के क्रम संख्या 31 पर भूखण्ड संख्या-29 पर गुठलाराम पुत्र श्री लालाराम चौधरी का नाम अंकित हो गया है एवं सूची के क्रम संख्या 32 पर त्रुटिवश भूखण्ड संख्या 29ए पर रामलाल जाट पुत्र श्री सुरजकरण जाट का नाम अंकित हो गया है। जबकि वास्तविक रूप से भूखण्ड संख्या-29 पर रामलाल जाट पुत्र श्री सुरज करण जाट है एवं भूखण्ड संख्या-29ए पर श्री गुठलाराम चौधरी पुत्र श्री लालाराम चौधरी हैं।


उक्त भूखण्ड की लीजडीड प्रार्थीया श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री चैतन्य शर्मा के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
- श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री चैतन्य शर्मा निवासी-53, गंगा विहार, बडी का खेडा, बगरू, तहसील सांगानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।


13.6.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1585

दिनांक 13/6/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना "हरे कृष्णा विहार-सी विस्तार" के निम्नलिखित भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री विनय यादव	एस-29	88.88

उक्त भूखण्ड संख्या एस-29 की लीजडीड दिनांक 04.02.2015 को श्रीमती सुशीला देवी यादव पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह यादव को जारी किया गया है श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह यादव कि मृत्यु दिनांक 26.4.2017 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। स्व. श्रीमती सुशीला देवी के वारिसान (1) श्री जोगिन्दर सिंह यादव(पति) (2) श्रीमती शालू यादव पुत्री श्री जोगिन्दर सिंह यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र यादव (पुत्री) के द्वारा उक्त भूखण्ड के लिये श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण प्रार्थी श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
- श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव निवासी-269 गुरु जम्बेश्वर नगर ए, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

13.6.22
R-611

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-1600

दिनांक :- 8-6-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	93594	46 सी	जे पी कॉलोनी	श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री बजरंग लाल मीणा	-	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	105977	74	विश्वकर्मा नगर-I-II	श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल	श्रीमती गिन्नी देवी पत्नी श्री सीताराम अग्रवाल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग त्याग पत्र

प्रतिलिपि:- 1600/31/6/22

sd.
उपायुक्त जोन-5

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

13.6.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4239

दिनांक:- 7/6/2022

लोक सूचना

सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हनुमान राहाय यादव, निवारी-103, यादवों की द्वाणी, लौचूका वारा, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-बीलपुरा तहसील-आमेर (जयपुर)	सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र हनुमान राहाय यादव	1019/689	0.7777 हेक्टेयर में से 1620 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 7/6/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4237

दिनांक:- 7/6/22

लोक सूचना

सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हनुमान सहाय यादव, निवासी-103, यादवों की ढाणी, लौचूका बास, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-बीलपुरा तहसील-आमेर (जयपुर)	सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र हनुमान सहाय यादव	1019/689	0.7777 हेक्टेयर में से 1296 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 7/6/2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... 11/246

दिनांक..... 07-6-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति** की योजना **रामेश्वर ऐनक्लेव एम-ए** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. मे)	स्वामित्व
मूण्डियारामसर, तहसील जयपुर	93	0.6703	पार्वती देवी पत्नि प्रकाश चन्द हि. पूर्ण जाति महाजन नि. 160, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा, जयपुर
	93/419	0.6576 में से 0.0506	
	93/420	0.3415	
	93/421	0.3667	
	कुल किता 4	कुल 1.4291 हैक्टे.	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..... 07-6-2022.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर

PRO/R-579
8/6/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101827

दिनांक: 07/06/2022

लोक सूचना

श्री KANA RAM पुत्र श्री RAM PRATAP जाति MEENA निवासी 32, DHANI MEENA, GRAM RAMJIPURA
KHEDLA KHURD TEH DAUSA DISTT DAUSA

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने
अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नारानोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KANARAM S/O RAM PRATAP	291,292,296	21200	2.12
कुल					2.12

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-06-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर